FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ालत ______ मुकाम ______

गोविन्दराम बनाम WS पृथ्वीराज

कदमा ______ नं. वाद (88-53) RTA 11/2021 सन् ______

ख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8-11-2021	

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। तहसीलदार बडीसादडी द्वारा प्रकरण में मौजा शक्कावतो का खेड़ा की वादग्रस्त आ.नं. के संबंध में मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पेश की जो शा.फा. की गई। वकील उभय पक्ष द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर एवं पूर्व में पेश किये गये राजीनामा को मध्यनजर रखते हुये प्रकरण को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के निर्णय दिनांक 21-1-2021 के अनुसार इस न्यायालय के प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16-9-98 को अपास्त किया जाकर प्रकरण राजीनामा अनुसार निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्रकरण प्रति प्रेषित किया गया। जिस [illegible] निर्णय अनुसार पूर्व में प्रकरण में पे[illegible] के मध्यनजर रखते हुये [illegible] आ. [illegible]2 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा [illegible] 172 रकबा 0.91 हैक्टर भूमि की वर्तमान वस्तु स्थिति की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार बडीसादडी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वर्तमान में आ.नं. 172 में पृथ्वीराज पिता डोला ½ राजकिशन

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat

Date: 2021.11.30 17:21:53 IST

Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	न... अ... हु...

पिता भोलीराम का ½ दर्ज रिकॉर्ड है रामनिवास पिता भोलीराम जाट द्वारा आ.नं. 106 में ½ हिस्सा पृथ्वीराज के पुत्र शंकर से खरीदा तब से आज तक उक्त आराजी के ½ हिस्से पर रामनिवास का कब्जा चला आ रहा है वर्तमान समय में पृथ्वीराज पिता डोला एवं उसके पुत्र शंकरलाल बाबुलाल की भी मृत्यु हो चुकी है शंकर लाल के वारिस पप्पुलाल रमेश चन्द पिता शंकरलाल व बाबुलाल के वारिस पारसमल सन्तोषबाई पिता बाबुलाल व लाछीबाई पत्नि स्व. बाबुलाल है इनके अलावा और कोई वारिस नहीं है उक्त वारिसान का आ.नं. 172 रकबा 0.91 हैक्टेयर भूमि पर कोई कब्जा नहीं है संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2033-36 के खाता सं. 61 पर दर्ज अंकन अनुसार विक्रय से शंकरलाल के बजाय वादग्रस्त में रामनिवास पिता भोलीराम का ½ दर्ज किया जाने का अंकन किया हुआ है पत्रावली में पूर्व के पेश राजीनामा के कलम नं. 3 में रामनिवास के साथ ½ हिस्से संयुक्त रूप से पृथ्वीराज का नाम अंकन किया हुआ है [illegible] नहीं है चूंकि वादग्रस्त आरा[illegible] पेश होने से पूर्व से [illegible] की थी। पूर्व में पेश [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में जो अंकन हुआ है वह [illegible] नहीं होने से समग्र विश्लेषण एवं पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादवादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है राजीनामा अनुसार वादग्रस्त आराजी को डिक्री करने के [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2021.11.30 17:21:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वादी को कोई आपत्ति नहीं है अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि मौजा खानकतो का खेड़ा की आ.नं. 172 रकबा 0.31 हैक्टेयर स्वकि प्रतिवादी नं. 4 रामनिवास के खातेदारी में घोषित की जाती है। शेष आराजी का इन्द्राज राजीनामा अनुसार डिक्री से पक्षकारान के नाम पर दर्ज हुई है जो यथावत रहेगी। जिस में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो मुर्तिब किया जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2021.11.30 17:21:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner